कार्यालय अधिष्ठाता
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)
Bendrachuwa, Raigarh, Chhattisgarh,ph-07762-220742 E-mail: gmcraigarh.2013@gmail.com

क्रमांक / शा.चि.म. / क्रय / 2022-23 / 3413 रायगढ़ दिनांक 28/03/2023

/ /ई–निविदा सूचना / /

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संबद्ध संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) दोनो संस्थाओं के लिए सफाई व्यवस्था (House keeping Services) हेतु छत्तीसगढ़ शासन के ई–प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से ई–निविदा आमंत्रित किया जाता है –

निविदा प्रपत्र मूल्य - राशि रू. 3000/- (तीन हजार रूपये मात्र)		
अमानत राशि :– अमानत राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जाना होगा।		
के नाम से	**अमानत राशि के रूप में**	**अमानत राशि (रूपए में)**
अधिष्ठाता स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)	**डिमांड ड्राफ्ट**	**3,00,000/- (तीन लाख रूपए)**
निविदा विक्रय तिथि एवं समय	दिनांक 03.04.2023 को 11:00 AM बजे से।	
ई–प्रोक्योरमेंट साइट www.eproc.cgstate.gov.in पर ऑनलाईन माध्यम से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 02.05.2023 को 11:59 AM बजे तक।	
भौतिक दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 02.05.2023 को 3:00 PM बजे तक।	
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 02.05.2023 को 4:00 PM बजे।	

निविदा से संबंधित आवश्यक नियम एवं शर्तों के विस्तृत जानकारी हेतु स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) के वेवसाईट www.gmcraigarh.edu.in का भी अवलोकन किया जा सकता है।

28/3/23

अधिष्ठाता
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय
चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / शा.चि.म. / क्रय / 2022-23 / 3414-3417 रायगढ़ दिनांक 28/03/2023

प्रतिलिपि :–

1. संचालनालय, जनसंपर्क विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित 02 समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के 02 समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।
2. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. .... सदस्य क्रय समिति, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ की ओर निविदा सूचना / प्रपत्र महाविद्यालय के वेबसाइट www.gmcraigarh.edu.in एवं छत्तीसगढ़ शासन के ई–प्रोक्योरमेट साइट www.eproc.cgstate.gov.in में अपलोड करने हेतु पालनार्थ।

28/3/23

अधिष्ठाता
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय
चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

1. कार्य का संक्षिप्त विवरण :–

निविदादाता द्वारा स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) तथा संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.), एवं परिसर, बालक–बालिका छात्रावास, आवासीय परिसर एवं संस्थान की आवश्यकतानुसार अन्य स्थलों की साफ–सफाई सेवाएँ (House keeping Services) प्रदान करना अनिवार्य है।

2. निविदादाता के न्यूनतम आवश्यक योग्यता :–

निम्नलिखित न्यूनतम मापदण्डों को पूरा करने वाले निविदादाता आवश्यक दस्तावेजों के साथ निविदा में भाग लेने हेतु पात्र होंगे :–

2.1 निविदादाता के पास शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/300 या अधिक बिस्तर वाले शासकीय चिकित्सालय/अन्य शासकीय संस्थान में सफलतापूर्वक सफाई सेवाएं प्रदान करने हेतु कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। तत्संबंध में सक्षम प्राधिकारी/संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, प्रदर्शन प्रमाण पत्र (Performance Certificate) एवं कार्य–आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। जिस पर निविदादाता के स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का सील मोहर अंकित होना अनिवार्य है।

2.2 निविदादाता फर्म/कंपनी/एजेंसी को विगत तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम **01** करोड़ औसत वार्षिक टर्नओवर **अनुलग्न–03** प्रारूप अनुसार **चार्टेड एकाउंटेड** द्वारा अभिप्रमाणित सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.3 निविदादाता फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा वैध जी.एस.टी प्रमाण पत्र संस्थान का सील मोहर सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2.4 निविदादाता फर्म/कंपनी/एजेंसी का ई.पी.एफ. और ई.एस.आई.सी. वैध पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

2.5 सफल निविदादाता को दर अनुबंध पूर्व 07 दिवस के भीतर वैध श्रम अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.6 निविदादाता द्वारा श्रम नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में बाल श्रम या बाल श्रमिक स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2.7 लेबर लॉ, टैक्सेस, आयकर, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., किसी भी प्रकार के पुलिस प्रकरण इत्यादि के लिए निविदादाता जिम्मेदार होगा।

2.8 निविदादाता द्वारा निविदा में उल्लेखित समस्त नियमों एवं शर्तों का पालन करना एवं स्वीकार करना अनिवार्य होगा। निविदा की कार्यवाही प्रारंभ होने पश्चात् निविदा की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में कोई भी पूछताछ, लिखित या मौखिक पर महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

3. व्यक्तिगत एवं वित्तीय क्षमताऐं :–

3.1 **व्यक्तिगत क्षमता** :–

कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए निविदादाता के पास योग्य एवं अनुभवी कर्मचारी होना अनिवार्य है। कर्मचारियों की सूची, बायोडाटा स्पष्ट रूप से, पदनाम, कार्य सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

3.2 **वित्तीय क्षमता** :–

पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2019-2020, 2020-21, 2021-22) के लिए चार्टड एकाउन्टेण्ट से लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, शुद्ध लाभ एवं शुद्ध हानि खाता सहित, कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे निविदादाता की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित हो सके।

4. **निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अन्य जानकारी :–**

निविदा के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना है, जिसका लेख प्री–क्वालिफिकेशन बीड में सूची–बद्ध किया गया है।

5. **अमानत राशि तथा सुरक्षा निधि प्रस्तुत करने के संबंध में :–**

अमानत राशि निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना है :–

5.1 निविदादाता को निविदा के अंतर्गत प्री–क्वालिफिकेशन बीड के साथ अमानत राशि रू. **03 लाख** (शब्दों में : तीन लाख रूपये मात्र) की **डिमांड ड्राफ्ट**, के रूप में, जो भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंक से जारी किया गया हो **"अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)"** के नाम पर तैयार कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

5.2 सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत अमानत राशि रोककर शेष असफल निविदादाता की अमानत राशि **15 दिवस** पश्चात वापस कर दिया जावेगा।

5.3 निविदा में पात्र सफल निविदाकार को कार्यालय, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं कार्यालय, संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा पृथक–पृथक कार्य–आदेश जारी करने के पूर्व पृथक–पृथक सुरक्षा निधि राशि रू. **07 लाख**, **डिमांड ड्राफ्ट** के रूप में, जो भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंक से जारी किया गया हो, **"अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)"** एवं **"संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)"** के नाम पर तैयार कर संबंधित संस्थान में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

5.4 सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि, निविदा कार्यवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के एक महीने पश्चात वापस कर दिया जावेगा।

6. **निविदादाता उक्त मापदण्ड को पूरा करते हुए भी निम्न कारणों से अयोग्य घोषित किया जा सकता है –**

6.1 निविदा के अंतर्गत प्रस्तुत दस्तावेज फॉर्म, कथन/बयान एवं अनुलग्न में किसी भी प्रकार के भ्रामक/गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर।

6.2 खराब प्रदर्शन का रिकार्ड जैसे काम छोड़ना, अनुबंध नहीं करना, पूर्व में न्यायिक प्रक्रिया लंबित होना, वित्तीय विफलताओं इत्यादि।

6.3 पूर्व में चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में सेवा दे रहे फर्म/कंपनी/एजेंसी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाये जाने पर।

7. निविदादाता फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा श्रम एवं सामग्री की आवश्यकता, कार्य को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यस्थल का पूर्व निरीक्षण किया जा सकता हैं। (कार्यस्थल का निरीक्षण करने हेतु संस्था को सूचित करना एवं अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।)

7.1 निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में होने वाले समस्त व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा।

8. यदि निविदादाता द्वारा दी जाने वाली जानकारी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पश्चात गलत पायी जाती है तो संबंधित निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त करते हुए जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राजसात कर, फर्म को काली सूची में शामिल करने की कार्यवाही की जावेगी एवं इसका उल्लेख अनुभव प्रमाण पत्र में किया जावेगा।

8.1 अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.), को निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत जानकारी / विवरण को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने / कराने का अधिकार होगा।

9. आमंत्रित निविदा को अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा बिना कोई कारण बताये किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं तत्संबंध में निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

10. **अर्हता संबंधी जानकारी का अद्यतन होना** :–

निविदादाता को अर्हता संबंधी मापदण्ड को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वित्तीय दस्तावेजों का अद्यतन होना आवश्यक है एवं समय–समय पर दस्तावेजों का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है।

11. **निविदा प्रस्तुत करना** :–

प्री–क्वालिफिकेशन संबंधित दस्तावेजों एवं प्राईस बीड छत्तीसगढ़ शासन के ई–प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है तथा प्री–क्वालिफिकेशन बीड में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज की हार्ड कॉपी एवं अमानत राशि रू. **03 लाख** (शब्दों में : तीन लाख रूपये मात्र) की (**डिमांड ड्राफ्ट**) की मूल प्रति निर्धारित तिथि एवं समय पर "चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)" में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

12. **सामान्य दिशा–निर्देश** :–

12.1 निविदा के अंतर्गत प्रस्तुत प्री–क्वालिफिकेशन बीड में सफल निविदादाता ही निविदा के अगले चरण के लिए पात्र होगा।

12.2 एक से अधिक निविदा प्रस्तुत करने पर संबंधित निविदादाता को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जावेगा।

12.3 संयुक्त फर्म / कंपनी / एजेंसी को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

12.4 निविदा के संबंध में प्री–क्वालिफिकेशन बीड में सफल / असफल निविदादाता को किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जावेगा और ना ही प्री–क्वालिफिकेशन बीड में सफल / असफल निविदादाता द्वारा प्रेषित पत्र पर विचार किया जावेगा।

13. अनुबंध दस्तावेज और जानकारी का उपयोग :–

13.1 सफल निविदादाता, निविदा प्राधिकारी की पूर्व लिखित सहमति के बिना, अनुबंध या उसके किसी भी प्रावधान या उसके संबंध में निविदा प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी जानकारी का प्रगटीकरण सफल निविदादाता द्वारा उनके अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य फर्म/कंपनी/एजेंसी को नहीं करेगा।

13.2 सफल निविदादाता द्वारा तैनात सफाई कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने की स्थिति में, अधिष्ठाता, स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) के पास अनुबंध को तत्काल समाप्त करने अथवा कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

14. निविदा में पात्र सफल निविदादाता द्वारा सुरक्षा निधि जमा करने पश्चात ही संबंधित फर्म से सफाई सेवाऐं (House keeping Services) हेतु अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।

15. सफल निविदादाता को ''स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)'' एवं ''संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)'' में सफाई व्यवस्था (House keeping Services) हेतु जारी कार्य–आदेश के पूर्व राशि रू. 100 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से अभिप्रमाणित **''दर/कार्य, अनुबंध''** इस कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

अधिष्ठाता
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय
चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

आवश्यक सेवाओं का स्वरूप :-

(ए) स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) के अधीनस्थ विभिन्न विभागों एवं शाखाओं, परिसर की साफ–सफाई सेवाएँ निम्नानुसार प्रदान करना होगा।

(01) **प्रतिदिन साफ–सफाई कार्य : स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) के अधीनस्थ समस्त विभागों (एनाटॉमी, बायोकेमेस्ट्री, फिजियोलॉजी, पी.एस.एम., फार्माकोलॉजी, फॉरेसिंक मेडिसीन एण्ड टॉक्सीकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी विभाग, इत्यादि), लेक्चर हॉल, परीक्षा कक्ष, प्रदर्शक कक्ष, प्रत्येक तल, प्रशासनिक खण्ड, केन्द्रीय ग्रंथालय, बालक–बालिका छात्रावास, अधिष्ठाता बंगला, एम.एस. बंगला, अतिथि गृह, आडिटोरियम आवासीय भवन, एवं परिसर का प्रतिदिन साफ–सफाई कार्य निम्नानुसार किया जाना होगा :-**

1.1 चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ के अधीनस्थ समस्त विभाग, प्रशासनिक खण्ड कार्यालय के कक्षों, लेक्चर हॉल, परीक्षा कक्ष, प्रदर्शक कक्ष, आडिटोरियम, अतिथि गृह, महाविद्यालय के प्रत्येक तल, अधिष्ठाता बंगला, एम.एस. बंगला, आवासीय भवन एवं परिसर के फर्श की साफ–सफाई कार्य सुबह 8:00 AM से 9:00 AM बजे तक करना अनिवार्य है। बालक–बालिका छात्रावास, केन्द्रीय ग्रंथालय के फर्श की साफ–सफाई एवं झाड़ू–पोछा सुबह 8:00 AM बजे तक करना अनिवार्य है।

1.2 चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ के अधीनस्थ समस्त विभाग, केन्द्रीय ग्रंथालय, प्रशासनिक खण्ड, लेक्चर हॉल, परीक्षा कक्ष, प्रदर्शक कक्ष, आडिटोरियम, अतिथि गृह, अधिष्ठाता बंगला, एस.एस. बंगला के समस्त कक्षों के टेबल, कुर्सी, पोडियम, बुक रैक, लॉकर, अलमीरा, स्टूल, इत्यादि फर्नीचर, खिड़की के शीशे, पर्दे, दरवाजें, स्वीच बोर्ड, पंखा, लाईट, नेम प्लेट, डोरमेट, अग्निशमन उपकरण, इत्यादि की साफ–सफाई झाड़ू–पोछा प्रतिदिन करना अनिवार्य है।

1.3 वाशरूम / टॉयलेट, वाशबेसिन, नल, इत्यादि का प्रतिदिन दो बार साफ–सफाई किया जाना अनिवार्य होगा।

1.4 सीढ़ियों, केबिनों, लॉबी, रिसेप्शन, पेंट्री, कैंटीन, गलियारे की छत, कार्यालयीन कक्ष, काउंसिल हॉल का साफ–सफाई प्रतिदिन कराया जाना अनिवार्य होगा।

1.5 समस्त कक्षों को झाड़ू–पोछा एवं कक्षों में स्थापित कुर्सियॉं, सोफा, कालीन, का वैक्यूम क्लीनर मशीन द्वारा साफ–सफाई प्रतिदिन करना अनिवार्य है।

1.6 विभिन्न विभागों, प्रयोगशाला एवं अधीनस्थ अन्य क्षेत्रों में उपयोग में लाये जा रहे विभिन्न डस्टबिन से कचरों का मापदण्ड अनुसार निपटान कर, डस्टबिन को प्रतिदिन धोना होगा और निर्धारित बायोमेडिकल प्लास्टिक बैग के साथ कव्हर किया जाना अनिवार्य है। प्रतिदिन फर्श को फर्श–क्लीनर से अच्छी तरह पोछा एवं बायोमेडिकल वेस्ट के मापदण्ड अनुसार साफ–सफाई किया जाना अनिवार्य है।

1.7 चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ के अधीनस्थ समस्त विभाग, केन्द्रीय ग्रंथालय, प्रशासनिक खण्ड के समस्त कक्षों के कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, यू.पी.एस., फोटोकॉपी मशीन, फोन इत्यादि कार्यालयीन मशीनों को नियमित रूप से सूखा कपड़ा में साफ–सफाई किया जाना अनिवार्य है।

1.8 कूड़ादान, रद्दी कागज, मकड़ी के जाले इत्यादि की साफ–सफाई एवं समस्त एकत्रित कचरों का मापदण्ड अनुसार निपटान नियमित रूप से करना अनिवार्य है एवं कूड़ादान की नियमित अंतराल में धुलाई किया जाना अनिवार्य है।

1.9 चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ के अधीनस्थ समस्त विभाग, प्रशासनिक खण्ड के कार्यालय के कक्षों में रूम फ्रेशनर का छिड़काव आवश्यकतानुसार किया जाना होगा।

1.10 चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ के अधीनस्थ समस्त विभाग, केन्द्रीय ग्रंथालय, प्रशासनिक खण्ड के समस्त वॉशरूम, वॉशबेसिन, वेस्ट पाईप, यूरिनल पॉट, टॉयलेट शीट, सिंक, सिस्टर्न हैण्डल, दर्पण, ग्लास सेल्फ, टॉवेल हैण्डल, नल इत्यादि की अच्छी तरह ब्रश से साफ–सफाई एवं कीटाणु रहित करना अनिवार्य है।

1.11 शौचालय के सेनेटरी फिटिंग, टॉयलेट, ड्रेन पाइप इत्यादि की मानक साफ–सफाई करना अनिवार्य है।

1.12 कार्यालय बंद होने के पूर्व भी सूखा पोछा किया जाना होगा। कारपेट पर वैक्यूम क्लीनर मशीन से साफ–सफाई किया जाना है।

1.13 स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) के मुख्य द्वार पर स्थित समस्त फर्नीचर की साफ–सफाई करना अनिवार्य है एवं मुख्य द्वार में स्थित शीशें के दरवाजें, दीवारों की साफ–सफाई प्रतिदिन करना अनिवार्य है।

1.14 चिकित्सा महाविद्यालय भवन में स्थित समस्त लिफ्ट मशीनों की साफ–सफाई प्रतिदिन करना अनिवार्य होगा।

1.15 अधिष्ठाता बंगला, एम.एस. बंगला, आवासीय भवन के परिसर के दीवारों, गैलरी, छत, सीढ़ियों, रैलिंग, की साफ–सफाई, दीवारों पर लगे धाग–धब्बे की सफाई प्रतिदिन करना अनिवार्य है।

1.16 अधिष्ठाता एवं एम.एस. बंगला, छात्रावास, आवासीय भवन से निकलने वाले कूड़ा–कचरा को प्रतिदिन एकत्रित करना एवं पर्यावरण मापदण्ड अनुसार निर्दिष्ट स्थान पर निपटान करना अनिवार्य है।

1.17 अधिष्ठाता एवं एम.एस. बंगला के वाशरूम, वाश–बेसिन, टायलेट का प्रतिदिन साफ–सफाई एवं झाडू पोछा किया जाना अनिवार्य होगा एवं परिसर के नालियों की प्रतिदिन साफ–सफाई करना अनिवार्य है।

1.18 आवासीय भवन परिसर की गैलरी एवं सीढ़ियों का प्रतिदिन साफ–सफाई, झाडू–पोछा करना अनिवार्य है।

1.19 अधिष्ठाता बंगला, एम.एस. बंगला, आवासीय भवन के परिसर में स्थित नालियों की प्रतिदिन साफ–सफाई करना अनिवार्य है।

1.20 समस्त कक्षों, वासरूम, पेंट्री कक्ष का साफ–सफाई एवं झाड़–पोछ करने पश्चात प्रतिवेदन संबंधित विभाग / तल के विभागाध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि को प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तत्संबंध में लॉग बुक का संधारण कर उस विभाग / तल के विभागाध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराया जाना सुनिश्चित करेगा।

1.21 अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) अथवा प्रतिनिधि द्वारा सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों का निर्वहन करना।

(02) <u>साप्ताहिक साफ–सफाई कार्य</u> :– स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) के अधीनस्थ समस्त विभागों (एनाटॉमी, बायोकेमेस्ट्री, फिजियोलॉजी, पी.एस.एम., फार्माकोलॉजी, फॉरेसिंक मेडिसीन एण्ड टॉक्सीकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी विभाग, इत्यादि), लेक्चर हॉल, परीक्षा कक्ष, प्रदर्शक कक्ष, प्रत्येक तल, प्रशासनिक खण्ड, केन्द्रीय ग्रंथालय, बालक–बालिका छात्रावास, अधिष्ठाता बंगला, एम.एस. बंगला, अतिथि गृह, आडिटोरियम आवासीय भवन, एवं परिसर का साप्ताहिक साफ–सफाई कार्य निम्नानुसार किया जाना होगा :–

2.1 समस्त फर्श, सीढ़ियों का धुलाई करना अनिवार्य है।

2.2 समस्त कक्ष के खिड़कियों के ग्रिल का डिटर्जेंट पॉउडर / क्लीनिंग सामग्रियों से साफ–सफाई करना अनिवार्य है।

2.3 सफल निविदादाता द्वारा सफाई कार्यक्रम बनाकर साप्ताहिक साफ–सफाई के लिए अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है ताकि सफाई के दिन संबंधित पर्यवेक्षण स्थान के देखरेख के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जा सके।

2.4 आडिटोरियम के पंखा, लाईट की साप्ताहिक एवं आकस्मिक साफ–सफाई करना होगा। साफ–सफाई करने पश्चात प्रतिवेदन संबंधित प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तत्संबंध में लॉग बुक का संधारण कर संबंधित प्रभारी अधिकारी से हस्ताक्षर कराया जाना सुनिश्चित करेगा।

2.5 समस्त साफ–सफाई एवं झाड़–पोछ करने पश्चात प्रतिवेदन संबंधित विभाग / तल के विभागाध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि को प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तत्संबंध में लॉग बुक का संधारण कर उस विभाग / तल के विभागाध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराया जाना सुनिश्चित करेगा।

2.6 अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) अथवा प्रतिनिधि द्वारा सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों का निर्वहन करना।

(03) <u>मासिक साफ–सफाई कार्य</u> :– स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) के अधीनस्थ समस्त विभागों (एनाटॉमी, बायोकेमेस्ट्री, फिजियोलॉजी, पी.एस.एम., फार्माकोलॉजी, फॉरेसिंक मेडिसीन एण्ड टॉक्सीकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी विभाग, इत्यादि), लेक्चर हॉल, परीक्षा कक्ष, प्रदर्शक कक्ष, प्रत्येक तल, प्रशासनिक खण्ड, केन्द्रीय ग्रंथालय, बालक–बालिका छात्रावास, अधिष्ठाता बंगला, एम.एस. बंगला, अतिथि गृह, आडिटोरियम आवासीय भवन, एवं परिसर का मासिक साफ–सफाई कार्य निम्नानुसार किया जाना होगा :–

01. <u>चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) के कई क्षेत्र संरचानात्मक ग्लेजिंग ग्लास / शीशा युक्त क्षेत्र है, का मासिक साफ–सफाई करना एवं दाग धब्बे इत्यादि हटाना अनिवार्य है।</u>

02. चिकित्सा महाविद्यालय भवन के उपरी छत की सफाई एवं पानी टंकी की सफाई प्रतिमाह किया जाना अनिवार्य है। यह कार्य सावधानिपूर्वक किया जावेगा एवं किसी भी प्रकार की क्षति हानि होने पर इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

03. महाविद्यालय परिसर में स्थित अंडरग्राउंड टेंक आवश्यकतानुसार साफ–सफाई किया जाना है।

04. अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) अथवा प्रतिनिधि द्वारा सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों का निर्वहन करना।

05. समस्त साफ–सफाई एवं झाडू–पोछा करने पश्चात प्रतिवेदन संबंधित विभाग/तल के विभागाध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि को प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तत्संबंध में लॉग बुक का संधारण कर उस विभाग/तल के विभागाध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराया जाना सुनिश्चित करेगा।

(बी) संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) के अधीनस्थ विभिन्न विभागों एवं शाखाओं में निम्नानुसार आवश्यक सेवाएँ प्रदान करना होगा।

(1) प्रशासनिक खण्ड :–

1.1 संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय, रायगढ़ के अधीनस्थ प्रशासनिक खण्ड कार्यालय के विभिन्न कक्षों एवं शाखाओं के फर्श की साफ–सफाई एवं झाडू–पोछा कार्य सुबह 7:30 AM से 8:30 AM बजे तक करना अनिवार्य है। प्रशासनिक खण्ड के सभी कक्षों के टेबल, कुर्सी, अलमीरा, स्टूल, फोटोकॉपी मशीन, खिड़की के शीशे एवं ग्रिल, पर्दे, दरवाजें, स्वीच बोर्ड, लाईट, पंखा, नेम प्लेट, डोरमेट, अग्निशमन उपकरण, इत्यादि का साफ–सफाई, झाडू–पोछा प्रतिदिन करना अनिवार्य है।

1.2 प्रशासनिक खण्ड के वाशरूम, वाशबेसिन, टायलेट शीट, का प्रतिदिन दो बार साफ–सफाई एवं झाडू–पोछा किया जाना अनिवार्य होगा।

1.3 प्रतिदिन सीढ़ियों, केबिनों, लॉबी, रिसेप्शन, पेंट्री, कैंटीन, कॉरिडोर की छत, कार्यालयीन कक्ष, **काउंसिल हॉल** की कीटाणुनाशक मशीनीकृत साफ–सफाई कराया जाना होगा।

1.4 संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय, रायगढ़ (छ.ग.) के लेक्चर थियेटर एवं अधीनस्थ फर्नीचर का साप्ताहिक एवं निर्देशानुसार साफ–सफाई एवं झाडू–पोछा करना अनिवार्य है।

1.5 कार्यालय के कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, फोटोकॉपीयर मशीन, फोन इत्यादि कार्यालयीन उपकरण का प्रतिदिन सूखा कपड़ा से साफ–सफाई किया जाना अनिवार्य है।

1.6 कूड़ादान, रद्दी कागज, मकड़ी के जाले इत्यादि की साफ–सफाई एवं सभी एकत्रित कचरें का मापदण्ड अनुसार निपटान नियमित रूप से करना अनिवार्य है। कूड़ादान की प्रतिदिन साफ सफाई एवं धुलाई किया जाना अनिवार्य है।

1.7 गीला, सुखा एवं समान्य कचरे को मापदण्ड अनुसार पृथक–पृथक प्रबंधन करना अनिवार्य होगा।

1.8 कक्षों में रूम फ्रेशनर का छिड़काव आवश्यकतानुसार किया जाना होगा।

1.9 वॉशरूम, वॉशबेसिन, यूरिनल पॉट, टॉयलेट शीट, सिंक, सिस्टर्न हैण्डल, दर्पण, ग्लास सेल्फ, टॉवेल हैण्डल, नल इत्यादि को अच्छी तरह ब्रश से साफ–सफाई एवं कीटाणु रहित करना अनिवार्य है।

1.10 चिकित्सालय भवन में स्थित समस्त लिफ्ट मशीनों की साफ–सफाई प्रतिदिन करना अनिवार्य होगा।

1.11 सफल निविदादाता द्वारा तैनात सफाई सुपरवाईजर कर्मचारी द्वारा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, के प्रत्येक तल के प्रत्येक ब्लॉक के साफ–सफाई एवं झाड़–पोछ पश्चात प्रतिवेदन उक्त तल में स्थित विभाग के संबंधित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तत्संबंध में लॉग बुक का संधारण कर उस तल के विभाग के विभागाध्यक्ष से हस्ताक्षर किया जाना सुनिश्चित करेगा।

1.12 अधिष्ठता, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरूघासी दास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय, रायगढ़ (छ.ग.) अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा आवश्यकतानुसार सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों का निर्वहन करना।

(2) संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय, रायगढ़ (छ.ग.) भवन एवं परिसर की सफाई :–

सफल निविदादाता को संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय, रायगढ़ (छ.ग.) भवन एवं परिसर में निम्नलिखित साफ–सफाई सेवाएँ प्रदाय किया जाना होगा –

1. ओ.पी.डी ब्लॉक, आई.सी.यू. आई.पी.डी., आपातकालीन चिकित्सा विभाग, ओ.टी. ब्लॉक में अवकाश सहित 24 x 7 घंटे हाउसकीपिंग/सफाई सेवाएं प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा, ताकि समस्त क्षेत्रों में हर समय साफ–सफाई निरंतर बना रहे।

2. चिकित्सालय के समस्त विभागों के ओ.पी.डी./वार्डों, कमरों, स्टोर, कैंटीन, कीचन, सलाहकार के कक्षों, आई.सी.यू., ऑपरेशन थिएटर, सी.एस.एस.डी. कक्ष, लॉण्ड्री कक्ष, लैब, ब्लड बैंक, सभी कॉरीडोर और इस ब्लाक के सभी खुले क्षेत्र के लिए निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करनी होंगी।

2.1 चिकित्सालय के बाहरी परिसर एवं गलियारों के गंदगी, धूल, ग्रीस, दाग–धब्बे, मकड़ी के जाले एवं संपूर्ण परिसर इत्यादि की प्रतिदिन नियमित रूप से सफाई किया जाना अनिवार्य है।

2.2 चिकित्सालय के बाहरी परिसर एवं गलियारों सीढ़ियों में प्रतिदिन 02 बार एवं आवश्यकतानुसार गीला/सुखा, पोछा करना अनिवार्य है।

2.3 चिकित्सालय के प्रत्येक वार्डों में प्रतिदिन 03 बार एवं आवश्यकतानुसार गीला/सुखा, पोछा कराया जाना अनिवार्य है।

2.4 चिकित्सालय के प्रत्येक विभाग के वार्ड/कक्षों एवं जनरल शौचालयों की 02–02 घण्टे के नियमित अंतराल में एवं आवश्यकतानुसार साफ–सफाई किया जाना अनिवार्य है।

2.5 चिकित्सालय में संचालित ओ.पी.डी., आई.पी.डी., ओ.टी., आपातकालीन चिकित्सा विभाग, लैब, आई.सी.यू. की प्रतिदिन 03 बार एवं आवश्यकतानुसार गिला एवं सुखा पोछा तथा सप्ताह में 01 बार कीटाणुरहित धुलाई, किया जाना अनिवार्य है।

2.6 चिकित्सालय भवन के उपरी छत की सफाई एवं पानी टंकी की सफाई प्रतिमाह किया जाना अनिवार्य है।

2.7 मरीजों के किडनी ट्रे, यूरिनल बेड पैन, ह्येमिडिफायर, सक्शन बोतल की आवश्यकतानुसार सफाई और कीटाणुरहित करना एवं आवश्यकतानुसार मूत्र नाली के बैग को खाली करना।

2.8 खून के धब्बे, मानव मल मूत्र, उल्टी इत्यादि की तत्काल साफ–सफाई कराना अनिवार्य है।

2.9 चिकित्सालय के समस्त विभागों/शाखाओं में स्थित निर्धारित विभिन्न कूड़ादान/डस्टबिन के बायोमेडिकल प्लास्टिक बैग में एकत्रित कचरों का निपटान करना एवं पुनः डस्टबिन को निर्धारित रंग के बायोमेडिकल प्लास्टिक बैग से कव्हर करना अनिवार्य है तथा कूड़ादान की नियमित अंतराल में धुलाई किया जाना अनिवार्य है।

2.10 कूड़ादान, रद्दी, कागज, मकड़ी के जाले इत्यादि की साफ–सफाई करना और सभी एकत्रित किए गए कचरों को निर्धारित स्थान पर संग्रहण करना अनिवार्य होगा। समस्त एकत्रित कचरों को मापदण्ड अनुसार निपटान हेतु ट्रैक्टर ट्रालियों अथवा किसी अन्य साधन/वाहन में लोडिंग करना अनिवार्य है।

2.11 आवश्यकतानुसार किडनी ट्रे, यूरिनल, बेड पैन, थूक कप के उपयोग हेतु मरीज की सहायता करना और ऑपरेशन कक्ष के सामग्री को कीटाणुरहित करना और अगले उपयोग के लिए शीघ्र तैयार करना।

2.12 मरीज के पेशाब, उल्टी, मल और अन्य गंदे स्थल/फर्श को 01 प्रतिशत हाइपोक्लोराईट घोल से धोना और कपड़ों को लॉण्ड्री भेजना।

2.13 शवों को मुर्दाघर तक ले जाने में सहायता करना और बायोमेडिकल वेस्ट संग्रह बिन्दु/भस्मक क्षेत्र में विच्छेदित अंगों या अन्य भागों का निपटान करना।

2.14 ऑपरेशन थियेटर एवं लेबर कक्ष में प्रतिदिन 02 बार नियमित रूप से साफ–सफाई, गिला पोछा एवं किटाणुरहित किया जाना अनिवार्य है तथा प्रत्येक ऑपरेशन कार्य के पश्चात् पुनः कीटाणुरहित साफ–सफाई एवं पोछा करना अनिवार्य है।

2.15 ऑपरेशन थियेटर में ऑपरेशन प्रारंभ करने से पहले सुबह ओ.टी. के फर्श, दीवार, छत, ओटी लाईट की साफ–सफाई, पोछा, कीटाणुरहित करना और दिन के अंत में टर्मिनल की सफाई करना अनिवार्य है।

2.16 मरीजों के बिस्तर, लॉकर, ट्रॉलियों, व्हील चेयर और आसपास के क्षेत्रों को प्रतिदिन दो बार या जब गंदगी होती है या मरीज को छुट्टी दी जाती है तो तत्काल सफाई करना।

2.17 मरीजों के बेड ट्रॉली, लॉकर, व्हील चेयर ट्रॉली में फंसे बाल इत्यादि को हटाना और ऑयलिंग एवं ग्रीसिंग करना अनिवार्य है।

2.18 ओटी प्रभारी के निर्देशानुसार आई.सी.यू., ओ.टी. की धुलाई एवं साफ–सफाई करना और फ्यूमिगेशन करने में सहायता करना।

2.19 विभिन्न आई.सी.यू., ओ.टी., डायलिसिस इत्यादि में चप्पलों की धुलाई।

2.20 यूरिनल, टॉयलेट शीट, सिंक, सिस्टर्न हैण्डल, कंटेनर, दर्पण, शीशे इत्यादि की अच्छी तरह ब्रश से साफ–सफाई करना एवं कीटाणु रहित करना अनिवार्य है।

2.21 सफाई कर्मचारी को पूरे दिन मरीजों के कमरे/वार्ड में साफ–सफाई बनाये रखेगा और मरीज के डिस्चार्ज होने पर कमरे की अच्छी तरह से साफ–सफाई करेगा और उसे अगले आने वाले मरीज के लिए तैयार रखना अनिवार्य होगा।

2.22 चिकित्सालय के पैथोलॉजी, ब्लड बैंक एवं अधीनस्थ अन्य क्षेत्रों में उपयोग में लाये जा रहे विभिन्न डस्टबिन से कचरों का मापदण्ड अनुसार निपटान कर, डस्टबिन को प्रतिदिन धोना होगा और निर्धारित बायोमेडिकल प्लास्टिक बैग के साथ कव्हर किया जाना अनिवार्य है। प्रतिदिन फर्श को फर्श–क्लीनर से अच्छी तरह से पोछा एवं साफ–सफाई किया जाना अनिवार्य है।

2.23 चिकित्सालय भवन रायगढ़ (छ.ग.) के कई क्षेत्र संरचानात्मक ग्लेजिंग ग्लास/शीशा युक्त क्षेत्र को मासिक साफ–सफाई करना एवं दाग धब्बे इत्यादि हटाना अनिवार्य है।

2.24 चिकित्सालय भवन रायगढ़ (छ.ग.) के उपरी छत की साफ–सफाई एवं पानी टंकी की सफाई प्रतिमाह किया जाना अनिवार्य है। यह कार्य सावधानिपूर्वक किया जावेगा एवं किसी भी प्रकार की क्षति हानि होने पर इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

2.25 सफल निविदादाता द्वारा तैनात सफाई सुपरवाईजर कर्मचारी द्वारा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, के प्रत्येक तल के प्रत्येक ब्लॉक के साफ–सफाई एवं झाड़–पोछ पश्चात प्रतिवेदन उक्त तल में स्थित विभाग के संबंधित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तत्संबंध में लॉग बुक का संधारण कर उस तल के विभाग के विभागाध्यक्ष से हस्ताक्षर किया जाना सुनिश्चित करेगा।

2.26 संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरूघासी दास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय, रायगढ़ (छ.ग.) अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा आवश्यकतानुसार सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों का निर्वहन करना।

(सी) बायोमेडिकल वेस्ट एवं सामान्य कूड़ा–कचरा प्रबंधन :–

1. बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन निविदादाता को बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 एवं समय–समय पर संशोधित नियमानुसार पृथककरण एवं संग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता अपशिष्ट (बायोमेडिकल वेस्ट) निपटान कार्य के लिए अपने अधीनस्थ सफाई कर्मचारियों के भर्तियों के समय प्रशिक्षण प्रदान कराना अनिवार्य होगा।
3. चिकित्सालय से निकलने वाले सामान्य कचरा को बायोमेडिकल वेस्ट कचरा के साथ मिलान नहीं करना है एवं सामान्य कचरा को काले रंग के प्लास्टिक बैग में डालकर चिन्हांकित स्थल पर संग्रहण किया जाना अनिवार्य है।
4. निविदादाता द्वारा अपशिष्ट/बायोमेडिकल वेस्ट निपटान प्रतिदिन करना अनिवार्य है एवं चिन्हांकित स्थान पर रखना अनिवार्य है।
5. निविदादाता के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारी को महाविद्यालय, चिकित्सालय, के अपशिष्ट/बायोमेडिकल वेस्ट का निपटान निर्धारित स्थान से निर्धारित रंग के बायोमेडिकल प्लास्टिक बैग में प्रतिदिन करना अनिवार्य है।
6. निविदादाता के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारी द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट बिन/डस्टबिन का प्रतिदिन साफ–सफाई कार्य किया जाना अनिवार्य है।
7. निविदादाता सप्ताहिक सफाई कार्यक्रम तैयार करेगा ताकि संबंधित क्षेत्र विशेष के साफ–सफाई की देखरेख के लिए कोई प्राधिकारी अथवा प्रतिनिधि पर्यवेक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया जा सके।
8. चिकित्सालय परिसर में पाये जाने वाले मृत जीव–जन्तुओं को उचित निपटान करना अनिवार्य है।

(डी) सड़क एवं परिसर की साफ–सफाई :–

1. चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रायगढ़ परिसर, आवासीय परिसर, बालक–बालिका छात्रावास परिसर में स्थित भवन और बाउंड्री के मध्य समस्त खुले क्षेत्रों की सफाई जिसमें सड़कें, लॉन, रास्तों की सफाई, खुली नालियों, पंप रूम, अंडरवाटर टेंक का पंप क्षेत्र एवं परिसर इत्यादि की प्रतिदिन झाडू एवं साफ–सफाई करना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर को धूल मुक्त रखने के लिए प्रतिदिन सुबह–शाम आवश्यकतानुसार पानी का छिड़काव करना अनिवार्य है।

(ई) चीलर प्लांट, मेनीफोल्ड कक्ष, पी.एस.ए. प्लांट, एस.टी.पी. कक्ष की साफ–सफाई :– चीलर प्लांट, मेनीफोल्ड कक्ष, पी.एस.ए. प्लांट, एस.टी.पी. कक्ष की प्रतिदिन साफ–सफाई संबंधित कक्ष प्रभारी के देखरेख में करना अनिवार्य है।

(एफ) सफल निविदादाता के कर्तव्य एवं दायित्व :

सफल निविदादाता के कर्तव्य एवं दायित्व निम्नानुसार है –

1. चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के अधीनस्थ विभागों एवं परिसर में एकत्रित कूड़ा कचरों को स्वयं के व्यय पर ट्रैक्टर ट्रालियों अथवा अन्य साधन से उठाया जाना है, साथ ही सामान्य कचरों का निपटान प्रतिदिन चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर के बाहर नगर पालिका द्वारा चिन्हित क्षेत्र में कराना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कूड़ा कचरे की सफाई की जिम्मेदारी भी सफल निविदादाता की है। यदि उपरोक्तानुसार कचरा का उठाव अथवा निपटान नहीं किया जाता है, तो राशि रू. 5000/– प्रत्येक विफलता अवसर पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
2. सफल निविदादाता का यह दायित्व एवं कर्तव्य है कि वह चौबिसों घण्टे एक सफाई कर्मचारी रखेगें जो कि वॉश बेसिन, शॉवर, सिवरेज चेंबर, रैन वाटर पाइप, टॉयलेट जाम होने की निकासी में कुशल एवं दक्ष हो। सिवरेज चैम्बर लाईन, टॉयलेट जाम होने पर शिकायत दर्ज करने पश्चात दो घण्टें के भीतर साफ–सफाई किया जाना अनिवार्य है। यदि उक्त जाम के कारण कोई नुकसान/असुविधा होती है, तो निविदादाता पर उचित जुर्माना लगाया जावेगा, जिसके लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(जी) हाउसकीपिंग निगरानी और नियंत्रण :–

साफ–सफाई सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए निविदादाता द्वारा निम्नलिखित निगरानी तंत्र अपनाया जाना होगा –

1. निविदादाता के अधीनस्थ कार्यरत सफाई सुपरवाईजर द्वारा प्रतिदिन महाविद्यालय, चिकित्सालय, छात्रावास, आडिटोरियम, के टॉयलेट, वासबेसीन का प्रतिदिन निरीक्षण एवं साफ–सफाई किया जाना अनिवार्य है।
2. निविदादाता के अधीनस्थ कार्यरत सफाई सुपरवाईजर द्वारा प्रतिदिन सफाई कार्य से संबंधित शिकायतों को प्राप्त कर शिकायतों का जांच कर तत्काल निपटान करना अनिवार्य है। विफल होने पर निविदादाता पर जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा, जिसके लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगें।
3. निविदादाता के अधीनस्थ कार्यरत सफाई सुपरवाईजर द्वारा साफ–सफाई संबंधित एक रजिस्टर संधारण करना अनिवार्य होगा।
4. ऑपरेशन थियटेर, प्रयोगशाला, आई.सी.यू. और वार्ड जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों का रोटेशन कम से कम किया जाना अनिवार्य है।

(एच) पेनाल्टी / जुर्माना :–

1. निविदादाता द्वारा सफाई कर्मचारियों को वर्दी, आई.डी. कार्ड, किट इत्यादि उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान यदि कर्मचारी बिना वर्दी एवं आई कार्ड के पाये जाते हैं, तो राशि रू. 200 / – प्रति कर्मचारी प्रतिदिन के हिसाब से सफल निविदादाता पर पेनाल्टी / जुर्माना लगाया जाएगा।
2. सफाई सुपरवाईजर की उपस्थिति अनिवार्य है, सफाई सुपरवाईजर की अनुपस्थिति पर उसके स्थान पर दूसरा सुपरवाईजर संबंधित स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा राशि रू. 500 / – प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी / जुर्माना लगाया जाएगा।
3. पेनाल्टी / जुर्माना सरल क्रमांक 01 और 02 का यदि पुनरावृत्ति की जाती है तो पेनाल्टी / जुर्माना दोगुना लगाया जावेगा।

(आई) संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) के अधीनस्थ विभिन्न क्षेत्रों को साफ–सफाई कार्य हेतु जोखिम अनुसार वर्गीकरण किया जाता हैः–

1. विशिष्ट श्रेणी क्षेत्र :–
2. उच्च श्रेणी क्षेत्र :–
3. सामान्य श्रेणी क्षेत्र :–

1. विशिष्ट श्रेणी क्षेत्र :–

इन क्षेत्रों में लगातार उच्च सफाई मानकों को बनाए रखना एवं गहन और लगातार साफ–सफाई कार्य किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए इन क्षेत्रों का नियमित मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य होगा। स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण समिति के मार्गदर्शन में लगातार साफ–साफाई के उच्च मानकों को बनाये रखा जाना अनिवार्य है।

इन क्षेत्रों में ऑपरेशन थिएटर, आई.सी.यू., एच.डी.यू., आपातकालीन विभाग, पोस्ट ऑपरेटिव इकाईयों, सर्जिकल वार्ड, लेबर रूम, हिमोडायलिसिस यूनिट, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, थिएटर स्टेराइल सप्लाई यूनिट, इम्यूनों कॉम्प्रोमाइज्ड, रोगियों की देखभाल, इत्यादि शामिल है। इन क्षेत्रों से लगे बाथरूम शौचालय स्टाफ लाउंज, कार्यालय और अन्य क्षेत्रों को समान श्रेणी के रूप में माना जावेगा और उपरोक्त स्थान के समतुल्य गहन स्तर पर सफाई करना अनिवार्य है।

2. उच्च श्रेणी क्षेत्र :–

इन क्षेत्रों में लगातार उच्च सफाई मानकों को बनाए रखना एवं गहन और लगातार सफाई कार्य किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए इन क्षेत्रों का नियमित मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य होगा। स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण समिति के मार्गदर्शन में लगातार साफ–साफाई के उच्च मानकों को बनाये रखा जाना अनिवार्य है। इन क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र प्रभारी से समन्वय बनाये हुए क्षेत्र की साफ–सफाई कार्य किया जाना अनिवार्य है।

इन क्षेत्रों में मेडिकल वार्ड, प्रयोगशाला क्षेत्र, ब्लड बैंक, फार्मेसी, आहार सेवाएं क्षेत्र, लॉण्ड्री सेवाएं क्षेत्र, मुर्दाघर, नर्स, डॉक्टरों के विश्राम कक्ष, पुनर्वास क्षेत्र और मनोरोग वार्ड शामिल हैं। इन क्षेत्रों से लगे बाथरूम, शौचालय, स्टाफ लाउंज, कार्यालय और अन्य क्षेत्रों को समान श्रेणी के रूप में माना जावेगा और उपरोक्त स्थान के समतुल्य गहन स्तर पर सफाई करना अनिवार्य है।

3. <u>सामान्य श्रेणी क्षेत्र</u> :–

इन क्षेत्रों में सौंदर्य और स्वच्छता कारणों के लिए उच्च मानकों की आवश्यकता होगी। इसके लिए इन क्षेत्रों का नियमित मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य होगा। स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण समिति के मार्गदर्शन में लगातार साफ–साफाई के उच्च मानकों को बनाये रखा जाना अनिवार्य है।

इन क्षेत्रों में अस्पताल प्रशासक कक्ष, ओ.पी.डी. क्षेत्र, पुस्तकालय क्षेत्र, मेडिकल रिकार्ड विभाग, स्वच्छता निरीक्षक कक्ष, नर्सिंग स्टॉफ कक्ष इत्यादि शामिल हैं।

विशिष्ट श्रेणी क्षेत्र	उच्च श्रेणी क्षेत्र	सामान्य श्रेणी क्षेत्र
01	*02*	*03*
Operation theatre units including recovery area- Major and Minor	Medical and allied wards	Departmental areas/office areas
Intensive care units/cardiac care units/Neonatal ICU etc.	Laboratory areas	Outpatient Department
High Dependency Units	Blood Bank	Non-sterile supply areas
Emergency Medicine Department	Pharmacies	Libraries department
Labour Room	Dietary services Area	Meeting Rooms
Post operative units	Laundry services Area	Medical records section
Surgical ward	Mortuary	Stores section
Central sterile supply services/room department/Theatre sterile supply unit	Doctor/Nurse rest rooms	Manifold
Radiation Treatment Areas	Rehabilitation Areas	Telephone rooms, electrical, mechanical, external surroundings
Chemotherapy ward/room	Psychiatric wards	Staff areas
Renal Dialysis facility	As per Requirement in other places also	As per Requirement in other places also
Burn Units		
Isolation wards/room and attached internal areas like bathroom/toilets		
As per Requirement in other places also		

नियम एवं शर्तें

1. सफल निविदादाता द्वारा **अनुलग्न–02** में दर्शित सफाई कर्मचारियों की संख्या अनुसार अनुबंध के तहत अपने दायित्व एवं कर्तव्य का निर्वहन करेगा। नियुक्त सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य अच्छा एवं कोविड वैक्सिनेटेड होना अनिवार्य है। हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना और शिष्ट होना अनिवार्य है।
2. स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) के लिए मानक अनुसार **अनुलग्न–02** में दर्शित सफाई सुपरवाईजर एवं सफाई कर्मचारी की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
3. सफाई व्यवस्था हेतु निविदा की वैधता अवधि अनुबंध निष्पादित दिनांक से आगामी 01 वर्ष के लिए वैध रहेगा। अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.), क्रय–समिति, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) के निर्णय उपरांत आवश्यकतानुसार अनुबंध की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
4. सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध के तहत् अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित एवं सक्षम सफाई कर्मचारियों को वर्दीधारी, आई.डी. कार्ड, मास्क, हैण्ड ग्लब्स, किट इत्यादि सहित तैनात किया जाना अनिवार्य है। जिस पर होने वाले व्यय का वहन निविदादाता द्वारा किया जावेगा।
5. सफल निविदादाता द्वारा तैनात सफाई कर्मचारियों को चैम्बर जॉम, ओ.टी., आई.सी.यू. प्रयोगशाला, इत्यादि की साफ–सफाई हेतु प्रशिक्षित होना अनिवार्य है।
6. सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध अनुसार सफाई व्यवस्था कार्य का संपादन, संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा संबंधित निविदादाता फर्म/कंपनी/एजेंसी को 01 माह पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा एवं निविदा में प्रस्तुत अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राजसात कर काली सूची में शामिल करने की कार्यवाही की जावेगी एवं असंतोषजनक कार्य का उल्लेख संबंधित के अनुभव प्रमाण पत्र में किया जावेगा।
7. निविदादाता द्वारा तैनात सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेश सर्टिफिकेट), पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, वैध आधार कार्ड, मतदाता परिचय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो, बायोडाटा सहित **अनुलग्न –04** अनुसार जमा करना अनिवार्य है।
8. सफल निविदादाता द्वारा यदि तैनात सफाई कर्मचारी को हटाकर किसी अन्य कर्मचारी को तैनात किया जाता है तो इसकी सूचना संस्थानुसार, अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) तथा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) को दिया जाना अनिवार्य होगा। परिवर्तित सफाई कर्मचारी के स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट), पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र, वैध आधार कार्ड, मतदाता परिचय प्रमाण पत्र, पासपोर्टसाईज फोटो, बायोडाटा सहित जमा करना अनिवार्य है।
9. ओ.टी., आई.सी.यू., प्रयोगशाला में पदस्थ किये जाने वाले सफाई कर्मचारियों का परिवर्तन कम से कम किया जाना होगा।
10. सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध अनुसार सफाई कर्मचारी निर्धारित संख्या में तैनात किया जाना अनिवार्य है।

11. निविदादाता द्वारा तैनात किए जाने वाल सफाई कर्मचारी के कर्तव्यों एवं जिम्मेदारी को **अनुलग्न – 01** में परिभाषित किया गया है तथा वे अनुबंध अनुसार कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

12. सभी सफाई कर्मचारी की उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। सफाई कर्मचारी का आचरण एवं प्रशिक्षण अच्छा होना चाहिए। आवश्यक स्थानों पर महिला सफाई कर्मचारी तैनात करना अनिवार्य होगा।

13. सफल निविदादाता हमेशा सफाई कर्मचारियों की निर्धारित संख्या प्रदान करेगा।

14. सफल निविदादाता को उनके द्वारा तैनात किये जाने वाले सफाई कर्मचारियों/सफाई सुपरवाईजर के रूप में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा।

15. सफल निविदादाता द्वारा अपने सफाई कर्मचारियों के अभिलेख जैसे–उपस्थिति पत्रक, अवकाश संबंधित अभिलेख, वेतन पर्ची इत्यादि का लेखा–जोखा रखना अनिवार्य होगा, जो आवश्यकता पड़ने पर स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) को निरीक्षण/जांच के लिए उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

16. सफल निविदादाता द्वारा तैनात किये जाने वाले सफाई कर्मचारियों के उपस्थिति हेतु "बायोमेट्रीक अटेंडेंस डिवाईस" का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा एवं उक्त बायोमेट्रीक अटेंडेंस डिवाईस उपस्थिति पत्रक अनुसार ही भुगतान किया जावेगा। उक्त बायोमेट्रीक अटेंडेंस डिवाईस निविदादाता द्वारा स्वयं के व्यय पर संस्था प्रमुख द्वारा चिन्हित स्थानों पर लगाया जाना है।

17. सफल निविदादाता द्वारा तैनात किए गए सफाई कर्मचारियों के उपस्थिति दर्ज किए गए बायोमेट्रीक उपस्थिति पत्रक एवं दैनिक उपस्थिति रजिस्टर को स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) के अधीनस्थ सफाई शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है और इसे मजदूरी भुगतान के लिए अंतिम अभिलेख/रिकार्ड माना जाएगा।

18. सफल निविदादाता द्वारा तैनात किए जाने वाले समस्त सफाई कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अनुबंध अनुसार सभी आवश्यक नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए, सावधानी बरतते हुए, उचित एवं विवेकपूर्ण कार्य करेंगे एवं समस्त जनों से शिष्टतापूर्ण व्यवहार करेंगे।

19. सफल निविदादाता को महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा जारी किए गए समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

20. सफल निविदादाता को अपने अधीनस्थ सफाई कर्मचारियों को वेतन भुगतान उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जावेगा। जिसमें से EPF, ESIC के कर्मचारी अंश को जमा करते हुए शेष वेतन का भुगतान बैंक खाते में किया जावेगा।

21. सफल निविदादाता को अनुबंध के तहत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए समय–समय पर लगने वाले आवश्यक वैध प्रमाण पत्र इत्यादि संबंधित शासकीय अधिकारियों से प्राप्त कर इस संस्था में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। निविदादाता न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, करों का भुगतान, ई.पी.एफ. ई.एस.आई.सी. के भुगतान एवं अन्य वैधानिक आवश्यकताओं, समय–समय पर समस्त आर्थिक दायित्वों के पालन के लिए जिम्मेदार होगा। निविदादाता के विफलता के लिए, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा एवं सफल निविदादाता के किसी भी विफलता के लिए महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा दण्डित किया जा सकता है एवं विफलता का समाधान भी निविदादाता को ही स्वयं करना होगा।

22. सफल निविदादाता द्वारा सफाई कर्मचारियों को यदि प्रतिमाह वेतन, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. का भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित फर्म द्वारा जमा अमानत राशि/सुरक्षा निधि राजसात करते हुए काली सूची में शामिल कर, अनुभव प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख किया जावेगा एवं कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

23. वर्तमान वेतन देयक प्रस्तुत करते समय सफाई कर्मचारियों को पूर्व महीने में किए गए भुगतान की जानकारी निम्न सारणी में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा –

क्रं.	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	बैंक शाखा का नाम	खाता क्रमांक	भुगतान किये जाने वाले कुल वेतन	कटौति का विवरण (EPF)		कटौति का विवरण (ESIC)		खाते में जमा किए जाने वाले वेतन [06-(07+09)]
						कर्मचारी का अंशदान	नियोक्ता का अंशदान	कर्मचारी का अंशदान	नियोक्ता का अंशदान	
01	***02***	***03***	***04***	***05***	***06***	***07***	***08***	***09***	***10***	***11***

24. सफल निविदादाता द्वारा तैनात सफाई कर्मचारी 08 घण्टें के शिफ्ट/पाली में (भोजन अवकाश सहित) काम करेंगे।

25. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार कर्मचारी को नियोजित करना एवं मजदूरी/वेतन भुगतान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। विभिन्न श्रम और अन्य कानूनों में निर्दिष्ट सभी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है।

26. सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत मासिक देयक में, कार्यरत सफाई कर्मचारियों के सप्ताहिक अवकाश का मजदूरी/वेतन समाहित रहेगा। महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा किसी भी प्रकार से अतिरिक्त लागत का भुगतान निविदादाता को नहीं किया जावेगा।

27. सफाई कर्मचारी कर्तव्य के दौरान पूर्णतः सावधानी पूर्वक कार्य का निर्वहन करेगा एवं इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

28. सफाई कर्मचारियों एवं सफाई सुपरवाईजर को कर्तव्य के दौरान आई.डी. कार्ड को गले में पहन कर रखना अनिवार्य होगा एवं सफाई कर्मचारी एवं सफाई सुपरवाईजर द्वारा सेवा छोड़ने, उनको सेवा से हटाने/निष्कासित करने पर आई.डी. कार्ड को जब्त करने की समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी एवं इसकी सूचना महाविद्यालय एवं चिकित्सालय को करना अनिवार्य है।

29. निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत न्यूनतम निविदा दर प्रदायकर्ता फर्म द्वारा दर/कार्य–अनुबंध निष्पादित कर कार्यालय में प्रस्तुत करने पश्चात् ही "स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)" एवं "संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)" द्वारा पृथक–पृथक कार्य–आदेश जारी किया जावेगा एवं कार्य–आदेशानुसार प्रतिमाह के **प्रथम सात दिवस के भीतर** देयक, संस्थानुसार "अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)" एवं "संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)" के नाम से तैयार कर प्रस्तुत किया जाना होगा। प्रस्तुत देयक के साथ पिछले माह के वेतन, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. भुगतान के रसीद/चालन की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

30. सफल निविदादाता द्वारा तैनात सफाई कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही, हिंसा, नशीले पदार्थ का सेवन, अधिकारी/कर्मचारी, छात्र–छात्राओं, मरीज एवं उनके परिजन से दुर्व्यवहार, असामाजिक कृत्य करते पाये जाने पर संबंधित सफाई कर्मचारियों को तत्काल हटाया जाना अनिवार्य होगा एवं उसकी समस्त जिम्मेदारी/जवाबदेही निविदादाता की होगी।

31. सफल निविदादाता द्वारा तैनात किये जाने वाले सफाई कर्मचारियों को साफ–सफाई से संबंधित मशीनों जैसे राईड ऑन स्क्रबर, जेट प्रेशर, आप्टीमेजर, श्रेडर इत्यादि मशीनों को संचालित करने की जानकारी होना आवश्यक होगा ताकि आवश्यकतानुसार उसका उपयोग किया जा सके।

32. सफल निविदादाता महिला/पुरूष सफाई कर्मचारी एवं सफाई सुपरवाईजर की आपूर्ति करेगा। अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.), को निविदादाता द्वारा तैनात कर्मचारियों के मैनपावर को बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार होगा। मैनपावर की तैनाती में किसी भी बदलाव की स्थिति में महाविद्यालय एवं चिकित्सालय या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पूर्व लिखित सूचना दी जाएगी एवं प्राप्त लिखित सूचना के 02 से 03 दिवस के भीतर आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

33. सफल निविदादाता द्वारा रिकार्ड हेतु उपयोग में लाये जाने वाले समस्त रजिस्टर एवं रिकार्ड, आडिट इत्यादि के लिए आवश्यक होने पर स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) के अधिकारियों को सफल निविदादाता द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रति, निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि निविदादाता के रिकार्ड/अभिलेखों में कुछ कमियॉ पायी जाती है एवं कमियों का निराकरण हेतु चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) के प्राधिकारी द्वारा, निर्देश दिया जाता है तो निविदादाता को वैधानिक आवश्यकता का पालन करना होगा।

34. सफल निविदादाता द्वारा तैनात कर्मचारियों को किए गए अग्रिम भुगतान/कटौती के संबंध में किसी भी विवाद में महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) का कोई दायित्व नहीं होगा। संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का मौखिक या लिखित पत्राचार पर महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

35. माह के कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर देयक में से आवश्यकतानुसार कटौती किया जावेगा, जिसके लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

36. सफाई कर्मचारी के अवकाश/अनुपस्थित होने की स्थिति में एजेंसी ऐसी अनुपस्थिति की भरपाई के लिए उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। ऐसी परिस्थिति में फर्म/कंपनी/एजेंसी, अवकाश में रहने वाले सफाई कर्मचारी के स्थान पर रिजर्व सफाई कर्मचारी प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा। इसके लिए अलग से भुगतान नहीं किया जावेगा।

37. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी किये जाने पश्चात यदि निविदादाता द्वारा कार्य करने से अस्वीकार किया जाता है तो, उनके द्वारा जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राजसात कर काली सूची में शामिल करने की कार्यवाही की जाएगी।

38. सफल निविदादाता के वरिष्ठ स्तर का एक प्रतिनिधि सप्ताह में कम से कम दो बार, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) परिसर में सफाई कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ/कर्तव्यों की समीक्षा करेगा। सप्ताहिक दौरे के दौरान एजेंसी के वरिष्ठ प्रतिनिधि, को इस संबंध में अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) तथा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) से चर्चा एवं वार्ता करना अनिवार्य है। ताकि निविदादाता द्वारा तैनात सफाई कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ/कर्तव्यों में यदि कोई कमियाँ पाई गई हो तो उसका निवारण किया जाना अनिवार्य है।

39. सफल निविदादाता विभिन्न कानूनों/अधिनियमों/नियमों का अनुपालन (जो लागू हो) सुनिश्चित करेगा, जिसमें निम्नलिखित एवं उनके पुनः अधिनियम/संशोधन शामिल है लेकिन इन्ही तक सीमित नहीं है :—

मजदूरी अधिनियम 1936 का भुगतान
कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952
फैक्ट्री अधिनियम 1948
अनुबंध श्रम (विनियमन) अधिनियम 1970
बोनस अधिनियम 1965 का भुगतान
ग्रेज्युटी भुगतान अधिनियम 1972
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948
बाल रोजगार अधिनियम 1938
मोटर वाहन अधिनियम 1988
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
निजी सफाई एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम 2005

40. निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रमाण पत्र एवं लाइसेंस, जीवित एवं वैध होना अनिवार्य है।

41. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं लाइसेंस की वैधता, अनुबंध अवधि में समाप्त होती है तो, समाप्ति के एक माह के भीतर नवीनीकरण दस्तावेज एवं लाईसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा निविदादाता को जारी कार्यादेश निरस्त कर जमा अमानत राशि एवं सुरक्षानिधि राजसात करते हुए काली सूची में शामिल करने की कार्यवाही की जाएगी।

42. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में "अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)" एवं ''संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)'' का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

43. न्यायालयीन वाद–विवाद की स्थिति में प्रकरण रायगढ़ (छ.ग.) न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

44. सफाई व्यवस्था हेतु विभिन्न वर्ग के लिए न्यूनतम मासिक मजदूरी/वेतन भुगतान कलेक्टर जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा निर्धारित '' जोन 'ब' '' एवं श्रमिकों के वर्ग अनुसार देय होगा, जिसका पुनरीक्षण समय–समय पर कलेक्टर जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा जारी आदेशों के अधीन होगा।

45. सफल निविदादाता द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में यदि कमी पायी जाती है तो संबंधित फर्म द्वारा जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राजसात कर संबंधित फर्म को काली सूची में शामिल कर, इसका उल्लेख अनुभव प्रमाण पत्र में किया जावेगा।

अधिष्ठाता
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय
चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :–

सफाई व्यवस्था हेतु निविदा छत्तीसगढ़ शासन के ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है। निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दो चरणों में संपादित किया जावेगा। **प्रथम चरण** प्री–क्वालिफिकेशन बीड का होगा, जिसमें अर्हता संबंधि दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा एवं **भौतिक दस्तावेज (अमानत राशि की मूल प्रति सहित)** एक बड़े लिफाफा में भरकर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/पी.एण्ड.टी विभाग द्वारा अधिकृत कोरियर या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जा सकता है एवं **द्वितीय चरण प्राईस बीड** का होगा, जिसमें ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन प्राईस/दर प्रस्तुत किया जाना होगा। (हार्ड कॉपी में प्रस्तुत दर स्वीकार्य नहीं होगा।)

(01) <u>प्री–क्वालिफिकेशन बिड के अंतर्गत निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा</u> –

1. छत्तीसगढ़ शासन के ई–प्रोक्योरमेंट साईट <u>www.eproc.cgstate.gov.in</u> के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करते समय भुगतान किये गये **<u>निविदा शुल्क राशि रू. 3000.00</u>** (शब्दों में : राशि रू. तीन हजार मात्र) भुगतान की रसीद की छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान के सील सहित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। (निविदा शुल्क की राशि वापसी योग्य नहीं है।)
2. **अमानत राशि तथा सुरक्षा निधि** :– अमानत राशि रू. **03 लाख** की **<u>डिमांड ड्राफ्ट</u>, अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़** (छ.ग.) के नाम पर हो एवं जो भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंक से जारी किया गया हो, तैयार कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. वैध फर्म पंजीयन प्रमाण पत्र (दुकान स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र) की छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का सील सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. फर्म / प्रोपराईटर का पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित तथा **विगत तीन वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न** एवं कर समाशोधन (Tax Clearing) प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान के सील सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं नवीनतम जी.एस.टी. रिटर्न फाईल की स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान के सील सहित छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
6. निविदादाता के पास शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय / 300 या अधिक बिस्तर वाले शासकीय चिकित्सालय / अन्य शासकीय संस्थान में सफलतापूर्वक सफाई सेवाएं प्रदान करने हेतु कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। तत्संबंध में सक्षम प्राधिकारी / संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं प्रदर्शन प्रमाण पत्र एवं कार्य–आदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है जिस पर निविदादाता के स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का सील मोहर अंकित होना अनिवार्य होगा।
7. विगत तीन वित्तीय वर्षो का औसत वार्षिक टर्नओव्हर प्रमाण पत्र जो 01 करोड़ से अधिक का हो एवं चार्टेड एकाउंट से अभिप्रमाणित हो प्रमाण–पत्र **<u>अनुलग्न–03</u>** प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. निविदादाता फर्म / कंपनी / एजेंसी का ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. वैध पंजीयन होना अनिवार्य है एवं प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का सील मोहर सहित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. आवेदनकर्ता व्यक्ति / फर्म / एजेंसी के पास आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र **ISO 9001: 2008/ OHAS 18001:2007/ ENISO 14001 : 2004** एवं अन्य सामान आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है तथा इसकी स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का सील मोहर सहित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10. निविदा के साथ समस्त संबंधित जीवित प्रमाण पत्र एवं जीवित लाइसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. निविदादाता फर्म / कंपनी / एजेंसी को पिछले वित्तीय वर्षों में केन्द्र / राज्य सरकार के किसी भी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है का **शपथ पत्र**, राशि रू. **50** के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से अभिप्रमाणित सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. फर्म के विरूद्ध किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया लंबित न हो के संबंध में **शपथ–पत्र, राशि रू. 10 के स्टाम्प पर नोटरी** की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

13. निविदा की समस्त नियम एवं शर्तों को स्वीकार करने संबंधी, **शपथ पत्र,** राशि रू. **50** के स्टाम्प पर नोटरी से अभिप्रमाणित सहित मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

14. निविदा प्रपत्र के समस्त पृष्ठों में निविदादाता के अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का सील/मुहर **सहित** प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(02) ई–प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in **के माध्यम से ऑनलाईन प्राईस बीड निम्न शर्त अनुसार प्रस्तुत किया जाना होगा –**

1. ऑफ लाईन प्राईस बीड स्वीकार्य नहीं होगा।

2. ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. का भुगतान शासकीय नियमानुसार किया जावेगा एवं शासन द्वारा प्रचलित समय–समय पर संशोधित आदेशानुसार ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. का भुगतान किया जावेगा।

3. ऑपरेशनल चार्ज, में कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस, अवकाश वेतन, वर्दी, किट, बीमा एवं निविदाकर्ता का लाभांश इत्यादि शामिल होगा।

4. सफाई व्यवस्था हेतु विभिन्न वर्ग के लिए न्यूनतम मासिक मजदूरी/वेतन भुगतान कलेक्टर जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा निर्धारित '' जोन 'ब' '' एवं श्रमिकों के वर्ग अनुसार देय होगा, जिसका पुनरीक्षण समय–समय पर कलेक्टर जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा जारी आदेशों के अधीन होगा।

5. कलेक्टर जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा ''जोन 'ब' '' एवं श्रमिकों के वर्ग अनुसार निर्धारित न्यूनतम मासिक वेतन को मान्य करते हुए ''ऑपरेशनल चार्ज'' समस्त वर्ग के लिए एकसमान प्रतिशत में निम्नानुसार कॉलम 03 में प्रस्तुत करना है। **(कार्यालय कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/8343/वित्त–लेखा/2022, रायगढ़ दिनांक 13 अक्टूबर द्वारा प्रचलित दर की छायाप्रति संलग्न है। इसके आधार पर ही ऑपरेशनल चार्ज एकसमान प्रतिशत में प्रस्तुत करना है।)**

S.No.	Particular	Operational Charge to Quote In Percentage On Basis of Per Person Per Month
01	*02*	*03*
01	**Operational Charge for supply of Manpower : -**	
	1. Safai Supervisor (Skilled)	
	2. Safai Karmchari (Unskilled)	

6. सफाई व्यवस्था हेतु ई–प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से समस्त वर्गों के लिए प्राईस बीड के अंतर्गत ''ऑपरेशनल चार्ज'' प्रति व्यक्ति प्रति माह के आधार पर एक ही प्रतिशत में उक्त प्रारूप अनुसार ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।

7. ऑपरेशनल चार्ज प्रति व्यक्ति प्रति माह के दर से प्रतिशत में दर्शाना अनिवार्य है एवं ऑपरेशनल चार्ज हेतु प्रस्तुत दर प्रतिशत दशमलव के एक अंक ही तक प्रस्तुत किया जाना है। (उदाहरण 1.0 या 2.0 या 1.4 या 1.6)।

निविदा निर्धारण की प्रक्रिया –

निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत "न्यूनतम निविदा दर" का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :–

1. निविदा के अंतर्गत **प्रथम चरण** में निविदादाता द्वारा ई–प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत अर्हता संबंधी दस्तावेज को ऑनलाईन खोला जाएगा एवं अवलोकन किया जाएगा। उक्त प्री–क्वालिफिकेशन बीड में पात्र निविदादाता को अगले चरण अर्थात् प्राईस बीड के लिए योग्य घोषित किया जावेगा।

2. निविदा के अंतर्गत **द्वितीय चरण** के अंतर्गत प्री–क्वालिफिकेशन बीड में पात्र निविदादाता द्वारा ई–प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से विभिन्न वर्गों के लिए प्रस्तुत प्राईस बीड (जिसमें समस्त वर्ग के लिए केवल ऑपरेशनल चार्ज एकसमान प्रतिशत में प्रस्तुत करना है) को खोला जावेगा एवं अवलोकन किया जावेगा।

3. सफाई व्यवस्था हेतु प्राईस बीड के अंतर्गत समस्त वर्गों के लिए दर्शाया गया "ऑपरेशनल चार्ज" भिन्न भिन्न ना होकर प्रतिशत एकसमान होना अनिवार्य है।

4. निविदादाताओ द्वारा प्राईस बीड के अंतर्गत प्रस्तुत "ऑपरेशनल चार्ज" का ई–प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम तुलनात्मक प्रपत्र तैयार कर "न्यूनतम निविदा दर" का निर्धारण किया जावेगा।

5. ई–प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से तैयार किये गए उक्त न्यूनतम तुलनात्मक प्रपत्र में यदि दो या दो से अधिक फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर समतुल्य पाया जाता है तो न्यूनतम निविदादाता का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जावेगा।

   (1) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय चिकित्सालय/शासकीय संस्थान में पूर्ण 04 वर्ष का अनुभव – 02 अंक।

   (2) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय चिकित्सालय/शासकीय संस्थान में पूर्ण 05 वर्ष का अनुभव – 04 अंक।

   (3) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय चिकित्सालय/शासकीय संस्थान में पूर्ण 06 वर्ष एवं इससे अधिक वर्ष का अनुभव – 05 अंक।

   उपरोक्तानुसार निर्धारण पश्चात् भी यदि दो या दो से अधिक निविदादाता का अंक समतुल्य पाया जाता है तो "शासकीय चिकित्सालय में जिस निविदादाता का अनुभव अधिक होगा", को प्राथमिकता दिया जावेगा।

6. उक्त न्यूनतम निविदा दर प्रदायकर्ता फर्म/कंपनी/एजेंसी को सफल निविदादाता मान्य करते हुए अनुबंध निष्पादित करने एवं कार्य–आदेश जारी करने की प्रक्रिया की जावेगी।

07. सफल निविदादाता द्वारा सफाई व्यवस्था (House keeping Services) हेतु प्रस्तुत देयकों के भुगतान की गणना निम्न प्रारूप अनुसार किया जावेगा –

S.No.	Particular	Minimum Wages (As per Norms) (Per Person Per Month Basis)	Operation Charge (Per Person Per Month) (In Percentage)	EPF (As per Norms)	ESIC (As per Norms)	GST (As Per Govt. Norms)	Total (Rs.)
01	02	03	04	05	06	07	08
01	Safai Supervisor (Skilled)	सफाई व्यवस्था हेतु विभिन्न वर्ग के लिए मजदूरी/वेतन भुगतान कलेक्टर जिला– रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा निर्धारित " जोन 'ब' " एवं श्रमिको के वर्ग अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुसार देय होगा।	ऑपरेशनल चार्ज प्राईस बीड में प्राप्त न्यूनतम दर प्रतिशत अनुसार गणना किया जावेगा।	शासकीय नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।	शासकीय नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।	शासकीय नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।	
02	Safai Karmchari (Unskilled)						

7.1 न्यूनतम मासिक मजदूरी/वेतन :– सफाई व्यवस्था हेतु विभिन्न वर्गों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन का भुगतान कलेक्टर जिला – रायगढ़ (छत्तीसगढ़) द्वारा निर्धारित "जोन 'ब' " एवं श्रमिकों के वर्ग अनुसार **प्रति व्यक्ति प्रति माह** अनुसार न्यूनतम मासिक वेतन देय होगा एवं समय–समय पर कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़) द्वारा पुनरीक्षित वेतन अनुसार देय होगा।

7.2 ऑपरेशनल चार्ज :– कलेक्टर जिला –रायगढ़ (छत्तीसगढ़) द्वारा निर्धारित "जोन 'ब' " एवं श्रमिकों के वर्ग अनुसार **प्रति व्यक्ति प्रति माह** अनुसार निर्धारित न्यूनतम मासिक वेतन को मान्य करते हुए समस्त वर्गों के लिए एकसमान प्रतिशत में प्रस्तुत ऑपरेशनल चार्ज अनुसार देय होगा।

7.3 ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. :– ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. का भुगतान शासकीय नियमानुसार किया जावेगा एवं समय–समय पर शासन द्वारा लागू दर अनुसार देय होगा।

7.4 जी.एस.टी. :– जी.एस.टी. का भुगतान शासकीय नियमानुसार किया जावेगा।

अधिष्ठाता
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय
चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

अनुलग्न : 01

(01) सफाई कर्मचारी के के लिए निर्धारित योग्यता :–

1.1 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– 5th/ 8th /10th उत्तीर्ण

1.2 उम्र 21 से 45 तक

1.3 शारिरीक एवं मानसीक रूप से स्वस्थ्य होना अनिवार्य है।

1.4 मिर्गी, तपेदिक, एच.आई.व्ही. / एड्स, टी.व्ही या अन्य किसी संक्रामक रोग जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित नहीं होना चाहिए।

1.5 सफाई कर्मचारी एवं सफाई सुपरवाईजर का पूर्व में किसी भी प्रकार का कानूनी रूप से सजा या अभियोग का पिछला रिकार्ड नहीं होना चाहिए एवं सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन होना अनिवार्य है।

(02) सफाई सुपरवाईजर का कर्तव्य एवं दायित्व :–

2.1 सफाई सुपरवाईजर, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.), बालक–बालिका छात्रावास एवं आवासीय परिसर की प्रतिदिन सफाई कार्य कराया जाना एवं संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.), के अधीनस्थ ओ.पी.डी ब्लॉक, आई.सी.यू. आई.पी.डी. ब्लॉक में अवकाश सहित चौबीसों घंटे हाउसकीपिंग / सफाई कार्य कराया जाना अनिवार्य है।

2.2 सफाई सुपरवाईजर द्वारा कराये गए सफाई कार्यों का प्रतिवेदन समय–समय पर अधिष्ठाता एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2.3 सफाई सुपरवाईजर अन्य आवश्यक रजिस्टर का संधारण करेगा। जिसमें महाविद्यालय, चिकित्सालय एवं परिसर से सफाई संबंधित समस्त शिकायतों को दर्ज करेगा एवं शिकायतों के आधार पर उसका निवारण / उचित कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है।

2.4 सफाई सुपरवाईजर को महाविद्यालय, चिकित्सालय, छात्रावास, आवासीय परिसर के सफाई संबंधित शिकायतों हेतु संबंधित वरिष्ठ अधिकारी का मोबाईल नम्बर रखना अनिवार्य होगा एवं संबंधित अधिकारी से चर्चा कर सफाई संबंधित शिकायतों का निवारण / आवश्यक कार्यवाही करना अनिवार्य है।

2.5 सफाई सुपरवाईजर को नये सफाई कर्मचारियों के प्रदग्रहण के पूर्व ठीक से प्रशिक्षित करना होगा।

2.6 सफाई सुपरवाईजर को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने अधीनस्थ समस्त सफाई कर्मी वर्दी सहित अपने कर्तव्य पर उपस्थि है या नहीं।

2.7 सफाई सुपरवाईजर को अपने अधीनस्थ सफाई कर्मचारी को महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के अधीनस्थ ओ.टी. / आई.सी.यू. / लैब / विभागों / वार्डों / छात्रावास / कार्यालय, इत्यादि स्थानों की सफाई संबंधी जानकारियों से अवगत कराना अनिवार्य है।

2.8 सफाई सुपरवाईजर को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपने अधीनस्थ सफाई कर्मचारी किसी भी मरीजों / परिजनों एवं अन्य किसी व्यक्ति से रिश्वत की मांग करने में शामिल नहीं है।

2.9 सफाई सुपरवाईजर को कर्तव्य के दौरान अपना आई.डी. कार्ड गले में पहन कर रखना अनिवार्य है एवं सफाई सुपरवाईजर द्वारा सेवा छोड़ने, उनको सेवा से हटाने/निष्कासित करने पर आई.डी. कार्ड को जब्त करने की समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी एवं इसकी सूचना महाविद्यालय एवं चिकित्सालय को करना अनिवार्य है।

(03) <u>सफाई कर्मचारी का दायित्व एवं कर्तव्य :–</u>

3.1 सफाई कर्मचारी को अपने दायित्व एवं कर्तव्य के दौरान उचित वर्दी धारण करना अनिवार्य है।

3.2 महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं वरिष्ठ व्यक्तियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना।

3.3 सफाई कर्मचारी को अपने कर्तव्य स्थल को खाली तब तक नही छोड़ना चाहिए जब तक दूसरा सफाई कर्मचारी उस स्थल पर उपस्थित ना हो।

3.4 सफाई कर्मचारी को अपने कर्तव्य के दौरान कक्षों, स्वीच बोर्ड, लाईट, पंखा, फर्नीचर, दरवाजा, खिड़की के शिशे, ग्रिल, टायलेट, वाश बेसीन, को अच्छी तरीके से साफ–सफाई करना अनिवार्य है।

3.5 सफाई कर्मचारी को महाविद्यालय, चिकित्सालय, के अपशिष्ट/बायोमेडिकल वेस्ट का मापदण्ड अनुसार निपटान निर्धारित स्थान पर प्रतिदिन करना अनिवार्य है। बायोमेडिकल वेस्ट डस्टबिन का प्रतिदिन साफ–सफाई कार्य किया जाना अनिवार्य है।

3.6 सफाई कर्मचारियों को महाविद्यालय, चिकित्सालय के विभिन्न विभागों, छात्रावास, आडिटोरियम एवं आवासीय परिसर की छत और उंची दीवारें की सफाई, दीवारों पर लगे धाग–धब्बे की सफाई प्रतिदिन करना अनिवार्य है।

3.7 सफाई कर्मचारियों को महाविद्यालय, चिकित्सालय के विभिन्न विभागों, छात्रावास, आडिटोरियम एवं आवासीय परिसर की शौचालयों में सेनेटरी फिटिंग, टॉयलेट ड्रेन पाइप इत्यादि की मानक सफाई करना अनिवार्य है एवं प्रसाधन सामग्री (साबुन, हैण्ड वाश, नैफ्थेलिन बॉल, टॉयलेट एयर फ्रेशनर) का उपयोग पश्चात् पुनः भण्डारण करना अनिवार्य है।

3.8 मरीजों एवं परिजन/अटेंडेंट/स्टाफ/कर्मचारी/छात्र–छात्राओं से दुर्व्यहार/बहस नहीं करना होगा।

3.9 कर्तव्य के दौरान हमेशा सतर्क रहना अनिवार्य होगा।

3.10 सफाई कर्मचारियों को अज्ञात निराश्रित एवं जरूरमंदों की हर संभव मदद करना होगा।

3.11 सफाई कर्मचारी को कर्तव्य के दौरान अपना आई.डी. कार्ड गले में पहन कर रखना अनिवार्य है।

अनुलग्न – 02

(अ) स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ (छ.ग.) में सफाई कर्मचारियों की अनुमानित आवश्यकता का विवरण :–

S.No.	Departments	Particulars	Standard Houskeeping Attendant Required	GMC Requirement	Remark
01	Special Areas	College Premises	1000 Sq.m/ Person	02	
		Dean Office	3	03	
		Lacture Hall Person	2 Lecture Hall/ Person	02	03 Lecture Hall & 01 Exam Hall
		Library	1x3 Shifts	03	
02	Anatomy	Dissection Hall	1/10 dissection Table	01	
		Histology Lab	1	01	
		Museum	1	01	
		Rest Of the Rooms/ Corridor	2	02	
03	Physiology	Amphibian Mammaliah Lab	1	01	
		Hematology Lab	1	01	
		Rest Of the Rooms/ Corridor	2	02	
04	Biochemistry	U.G. Practical Lab.	2	02	
		Rest Of the Rooms/ Corridor	2	02	
05	Pathology	Hematology Lab	1	01	
		Histology Lab	1	01	
		Cytology	1	01	
		Rest Of the Rooms/ Corridor	2	02	
06	Microbiology	Serology	1	01	
		Bacteriology/ Parasitology	1	01	
		Mycology+ Virology	1	01	
		Rest Of the Rooms/ Corridor	2	02	
07	FMT	Toxicology Lab.	1	01	
		Museum	1	01	
		Rest Of the Rooms/ Corridor	2	02	
08	Pharmacology	Experimental Lab.	1	01	
		Pharmacy	1	01	
		Animal House	2	02	
		Rest Of the Rooms/ Corridor	2	02	
09	P.S.M.	Museum	1	01	
		P.G. Research Lab.	1	01	
		Rest Of the Rooms/ Corridor	2	02	
10	Dean Bungalow		-	01	
11	MS Bungalow		-	01	
12	Doctors Quarter Corridor & Premises				
	Type - 3		-	01	
	Type - 4 (A&B Block)		-	01	
	Type - 5 (A&B Block)		-	01	
	Staff Quarter Premises				
	Type-6 & Type-7		-	01	
13	Girls Hostel (Rooms and Corridor)		-	08	बालिका छात्रावास में 4 फ्लोर एवं 2 ब्लाक है। कुल 129 कमरा है।
	JR Girls Hostel (Rooms and Corridor)		-	03	जे.आर. बालिका छात्रावास में 3 फ्लोर एवं कुल 36 कमरा है।
	Nursing Hostel (Rooms and Corridor)		-	08	नर्सिंग छात्रावास में 4 फ्लोर एवं 2 ब्लाक है। कुल 138 कमरा हैं
14	U.G. Boys Hostel (Rooms and Corridor)		-	08	यू.जी. बालक छात्रावास में 4 फ्लोर एवं 2 ब्लाक है। कुल 140 कमरा है।
	JR Boys Hostel (Rooms and Corridor)		-	03	जे.आर. बालक छात्रावास में 3 फ्लोर एवं कुल 36 कमरा है।
			Total Housekeeping	**83**	
			Superwiser	**02**	
			Total	**85**	

नोट : सफाई सुपरवाईजर एवं सफाई कर्मचारी की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

अनुलग्न – 02

(ब) संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ (छ.ग.) में सफाई कर्मचारियों की अनुमानित आवश्यकता का विवरण :–

S.No.	Particulars	Standard house keeping attendent required (Norms)	Norms according requirdment House keeping attendent in new hospital building Raigarh	Remark
01	Hospital Supervisor	1 person * 1 shift	04	
02	Ward	30 bed/person*3 shift	65	650 beds
03	Labour Room	1 table/person*3 shift	12	4 Labour Table
04	O.T.	1 O.T. Table/person*4 shift	52	13 O.T. Table
05	I.C.U.	6 bed/person *4 shifts	60	90 beds
06	H.D.U.	6 bed/person *4 shifts	16	20 beds
07	Blood Bank	5 person in 3 shift/day	05	
8	Micro biology labs	9 person in 3 shift/day	09	
9	pathology labs	9 person in 3 shift/day	09	
10	biochemistry labs	7 person in 3 shift/day	07	
11	O.P.D.	department wise 1 person * 2shift	30	15 department in medical college hospital
12	Administrative block	department wise 2 person * 2shift	60	15 Administrative block in medical college hospital
13	Radio-diagnosis (X-Ray, CT scan, USG, MRI)	11 person in 3 shift	11	
14	Mortuary	2 person * 2 shift	04	
15	Kitchen	2 person * 3 shift	06	
16	Central Store	1 person * 3 shift	03	
17	Central Sterilization Unit	2 person * 3 shift	06	
18	Loundry	2 person * 2 shift	04	
19	Hospital Premises	5000 sq. m/2 person * 1 shift	08	20000 sq.m medical college hospital (approx)
20	Hospital General Waste	6 person in 3 shift	06	
21	Hospital B.M.W.	5 person in 3 shift	05	
22	Corridors & Toilets	Each floor (5000 sq.m /2person * 2 shift	24	6 floor in medical hospital
		Total	**406**	

नोट : सफाई सुपरवाईजर एवं सफाई कर्मचारी की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

अनुलग्न : 03

On the letter pad of Chartered Accountant

This is to certify that the total turnover in the case of M/s...................................... having PAN .... is as under:

Financial Year/Period	Amount in Rupees (Figures)	Amount in Rupees (words)
2019-20 2020-21 2021-22		
Total		

Average = Total/3

It is further certified that the above mentioned amounts have been derived from the books of accounts presented before us for the above mentioned periods.

Chartered Accountants

अनुलग्न : 04

कर्मचारी का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो स्वहस्ताक्षरित

बायोडाटा

1. कर्मचारी का नाम :
(हिन्दी) ....
(अंग्रेजी) ....
2. पिता का नाम : ....
3. माता का नाम : ....
4. जन्म तिथि : ....
5. कर्मचारी का उम्र : ....
6. कर्मचारी का पद नाम :....................
7. कर्मचारी का मोबाईल नम्बर :....................
8. आधार नम्बर : ....
9. मतदाता परिचय पत्र क्रमांक :....................
10. कर्मचारी का ई.पी.एफ. :....................
11. कर्मचारी का ई.एस.आई. नम्बर :....................
12. कर्मचारी का बैंक खाता क्रमांक :....................
13. कर्मचारी का वर्तमान पता : ....
....
....
14. कर्मचारी का स्थायी पता : ....
....
....
15. कर्मचारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र :....................
16. कर्मचारी का पुलीस सत्यापन प्रमाण पत्र : ....
(दस्तावेज संलग्न अनिवार्य है)
17. कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता : ....
18. कर्मचारी का कोविड वैक्शिनेशन प्रमाण पत्र :....................
(दस्तावेज संलग्न अनिवार्य है)

निविदादाता का हस्ताक्षर
संस्थान का सील/मोहर सहित

कर्मचारी का हस्ताक्षर

कार्यालय कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/8343/वित्त–लेखा./2022, रायगढ़, दिनांक 13 अक्टूबर 2022

श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/आठ/न्यू.वे./श्र.आ./2022/5810, दिनांक 28.09.2022 के साथ संलग्न पुस्तिका के अनुसूची 'ग' में विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा उस पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी शामिल है, निर्धारित किया गया है, के परिप्रेक्ष्य में छ.ग. वित्त संहिता भाग–2 के परिशिष्ठ–6 के नियम 43 में निहित प्रावधानों एवं छ.ग. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्र. 303/आर/577/92 /नि–5/चार दिनांक 30.06.1992 तथा छ.ग. राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा–2 (घ) में निहित शक्तियों के अनुसार मैं श्रीमती रानू साहू, भा.प्र.से. कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक के लिए निर्धारित करता हूँ :–

क्र	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन (आंकड़े रू.में)	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	ब	8060.00	268.67	1900.00	63.33	9960.00	332.00 (332)
		स	7800.00	260.00	1900.00	63.33	9700.00	323.33 (323)
2	अर्द्धकुशल	ब	8710.00	290.33	1900.00	63.33	10610.00	353.67 (354)
		स	8450.00	281.67	1900.00	63.33	10350.00	345.00 (345)
3	कुशल	ब	9490.00	316.33	1900.00	63.33	11390.00	379.67 (380)
		स	9230.00	307.67	1900.00	63.33	11130.00	371.00 (371)
4	उच्च कुशल	ब	10270.00	342.33	1900.00	63.33	1217[illegible].00	405.67 (406)
		स	10010.00	333.67	1900.00	63.33	11910.00	397.00 (397)

टीप :–

- **जोन 'ब'–** नगर पालिक निगम रायगढ़ सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से 08 किलोमीटर तक का क्षेत्र।
- **जोन 'स' –** उपरोक्त अ एवं ब में उल्लेखित क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष समस्त क्षेत्र।
- उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी की दरें जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in एवं श्रम विभाग के वेबसाईट www.cglabour.gov.in पर भी उपलब्ध है, जिसमें उच्च कुशल वर्ग के संबंध में भी अवलोकन किया जा सकता है।

नियम एवं शर्ते/टीप :–

1/ वर्कचार्ज कंटीजेंसी पेड एम्पलाई पर उपयुक्त दरें प्रभावशील नहीं होगी।

2/ इस अधिसूचना द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर देय होगा। यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी सन्दर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित करेगा।

निरन्तर ....

3/ उपरोक्त बढ़ी हुई दर संबंधित सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई है। यदि कोई श्रेणी अवशेष रहता हो तो अकुशल श्रेणी के लिए रूपये 9700/-, अर्द्धकुशल के लिए रूपये 10350/-, कुशल के लिये रूपये 11130/- एवं उच्च कुशल के लिए रूपये 11910/- प्रतिमाह के मान से देय होगा।

4/ उपर्युक्त सभी न्यूनतम दरें स्त्री/पुरूष को समान रूप से देय होगी।

5/ वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 303/आर/577/92/नि.-5/चार दिनांक 30.06.1992 की कंडिका (क) (चार) के अनुसार यदि किसी पद वेतन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले किसी नियोजनों के अधीन समतुल्य पद के लिए निर्धारित वेतन से अधिक निर्धारित है तो उसमें तब तक कोई वृद्धि नहीं की जावेगी जब तक कि अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरें उसके बराबर नहीं हो जाता।

6/ अधिसूचित न्यूनतम वेतन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी शामिल है, इसलिए दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की पात्रता नहीं है।

7/ जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कलैण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी, मासिक मजदूरी पर नियुक्त कर्मचारी को सप्ताह के एक दिन का वेतन सहित अवकाश की पात्रता होगी।

(श्रीमती रानू साहू)
कलेक्टर
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/8545/वित्त-लेखा./2022, रायगढ़, दिनांक 13 अक्टूबर 2022

प्रतिलिपि :-

1/ सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर जिला रायपुर।

2/ श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर।
-- की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3/ समस्त कलेक्टर.. छत्तीसगढ़।

4/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.)

5/ सर्व कार्यालय/विभाग प्रमुख, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

6/ वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय रायगढ़ (छ.ग.)

7/ आयुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.)

8/ सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

9/ सर्व प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

10/ सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पालिक/नगर पंचायत, जिला रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11/ जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

12/ सहायक संचालक, जनसम्पर्क, जिला रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

(श्रीमती रानू साहू)
कलेक्टर
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)